न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या–421/2019

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

रामदेव बहरदार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
26.3.21	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 3555/हि0शा0, दिनांक 12.12.2019) के आलोक में जोगबनी थाना काण्ड संख्या–26/17, दिनांक 08.03.2017 धारा–30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। इस वाद के अभियुक्त श्री रामदेव बहरदार, पिता–बैजु बहरदार, सा0–भदेश्वर, वार्ड नं0 02, थाना–बथनाहा (जोगबनी), जिला–अररिया को कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सूचनोपरांत कई तिथियों से इस न्यायालय में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक अवर निरीक्षक, जोगबनी थाना दिनांक 08.03.2017 को बरामदगी एवं विशेष छापेमारी हेतु समय 17:00 बजे संध्या से पुलिस बल के साथ प्रस्थान किए। पुलिस को देखते ही विपक्षी भागने का प्रयास किया। सहयोगी के सहयोग से विपक्षी को खदेड़कर पकड़ा गया। वहाँ उपस्थित दो गवाह के समक्ष तलासी नियमों का पालन करते हुए तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में 1. मनोज बहरदार के पुराना साईकिल मिलटन कम्पनी के हरा रंग का साईकिल के हैन्डिल में लटका झोला जिसमें तराजु से छिपाया हुआ कुल 30 पीस उमंग देशी शराब (नेपाल निर्मित) प्रत्येक पीस 300 एम0एल0 का पाया गया 2. रामदेव बहरदार के पुराना हिरो साईकिल हरा रंग का जिसके पीछे केरीयर पर बंधा अलमुनियम के हण्डी में रखा कुल 55 (पचपन) पीस उमंग देशी शराब (नेपाल निर्मित) प्रत्येक 300 एम0एल0 का पाया गया। पकड़े गये दोनों व्यक्ति से बरामद शराब के संबंध में पूछने पर बताया कि नेपाल से खरीदकर बथनाहा के विभिन्न बाजारों में बेचता है। दोनों व्यक्तियों के पास से जब्त सामानों को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त साईकिल का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार थानाध्यक्ष, जोगबनी थाना काण्ड संख्या–26/17, दिनांक 08.03.2017 में जब्त **साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु	

अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (साईकिल मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक ......26 (उत्पाद)......, अररिया, दिनांक ....26..../...03..../2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया